OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) – II
MADHYA PRADESH, GWALIOR
(Lekha Bhavan, Jhansi Road, Gwalior, Pin: 474002)

No. /Pension/DRSSA/Jharkhand-03/2024-25/ Date:-

To,

All District/Sub Treasury Officers
Madhya Pradesh

Sub: - **Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01/07/2024 (Enhanced from 50% to 53%) & Enhancement rate of Dearness relief of the Pre-revised pay scale (Sixth Pay) to the Jharkhand state government Pensioners/Family Pensioners w.e.f. 01/01/2024 (Enhanced from 230% to 239%).**

Ref: -
1. SSA No. PEN-III/Jharkhand/DR/2024-25/5318, dated 24.01.2025 Office of The Principal Accountant General (A&E) Jharkhand, Ranchi.
2. Govt. of Jharkhand, Finance Department Letter NO.33/वि. (महंगाई भत्ता/महंगाई राहत)–54/2017/11/वि. Dated 03.01.2025.
3. Govt. of Jharkhand, Finance Department Letter NO.33/वि. (अपुनरीक्षित भत्ता)–138/2024/2249/वि.. Dated 27.09.2024

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Principal Accountant General (A&E), Jharkhand which encloses the Resolution of the Jharkhand Govt. vide no. given at Sl no. 2 and 3 reference regarding Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01/07/2024 (Enhanced from 50% to 53%) & Enhancement rate of Dearness relief of the Pre-revised pay scale (Sixth Pay) to the Jharkhand state government Pensioners/Family Pensioners w.e.f. 01/01/2024 (Enhanced from 230% to 239%).. The same is being placed in the official website of the office **(www.agmp.nic.in)** under the link **"Pensioners Corner"**. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

It will be the responsibility of the pension disbursing authority to download the orders regarding payment of Dearness Relief from the website and take necessary action accordingly.

Sr. Accounts Officer (IC)/Pension

No. /Pension/DRSSA/Jharkhand-03/2024-25/ 4335 Date:- 5.3.25

Endt. Copy for information-
The Senior Accounts Officer/ Pension-III, O/o the Principal Accountant General (A&E) Jharkhand, P.O. Doranda, Ranchi-834002 w.r.t your SSA No. PEN-III/Jharkhand/DR/2024-25/5318, dated 24.01.2025.

Sd-
Sr. Accounts Officer (IC)/Pension

SP. 373_612302

99267

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड का कार्यालय, राँची

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) JHARKHAND, RANCHI

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

No.PEN-III/Jharkhand/DR/2024-25/5318 Dated:- 24/01/2025.

R-11951

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO.-- **42/2024-25.**

To,

The

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E),Chatisgarh, ziro Point, Blauda Bazar Road, Raipur	493111
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B,Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5329/5369 Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerala, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695001
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E),Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar,Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E)-II Uttar Pradesh, 20 Sarojini Naidu Marg, Prayagraj, Uttar Pradesh.	211001.

DA-160 7.2.25

PA

DA

Sh. Madhav 06/2/25

04 FEB 2025

पो. डोरण्डा, राँची – 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (Jharkahnd)
दूरभाष / Telphone : 0651-2412942, 2412582, Fax : 0651-2411745
E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt,Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondichrry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Fllor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021
33	Accountant General (A&E), Telangana, Haydrabad	500004

Subject - Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01/07/2024 (Enhanced from 50 % to 53 %) & Enhancement rate of DearnessRelief of Pre-Revised Pay scale (Sixth Pay) to the Jharkhand tate Gvvernmt Pnsioners/Family Pensioners w.e.f. 01/01/2024 (Enhanced from 230% to 239%).

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.33/वि०(महँगाई भत्ता/ महंगाई राहत)--54/2017.11/ वि. दिनांक-03/01/2025 & 33-वि०(अपुनरीक्षित भत्ता)-138/2024-2249/वि० दिनांक 27/09/2024 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Encl:-As stated above.

Yours faithfully,

Rabindra Kr Mishra

Sr. Accounts Officer/Pen-III

Jharkhand, Ranchi.

पत्रांक : 33/वि. (महँगाई भत्ता/महँगाई राहत)–54/2017.....11/वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक :...03.01.2025...

संकल्प

विषय : **दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना–सह–वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 30.10.2024 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवॉ वेतनमान) में दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की वर्त्तमान दर को 50% (पचास प्रतिशत) से बढ़ाकर 53% (तिरपन प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से मूल पेंशन का 53% (तिरपन प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया जाय"।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2750/वि० दिनांक 13.12.2024 के क्रम में दिमांक 24.12.2024 की बैठक के मद सं० 02 में दी गई है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप–कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

02/01/25

(प्रशांत कुमार)

सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक : 33/वि. (महँगाई भत्ता/महँगाई राहत)–54/2017........11/वि०.........राँची, दिनांक 03.01.2025

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/ उप–कोषागार पदाधिकारी/ पेंशन शाखा, वित्त विभाग/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखंड, रांची/ सांस्थिक वित्त प्रभाग, वित्त विभाग को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/उप महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/सभी राज्यों के महालेखाकार कार्यालय/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रसंग में महँगाई राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/01/25

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Scanned with OKEN Scanner

पेंश.1 Gen. Ay. No. 484 Dt. 21-10-24.
Pen 3 ... No 1102 दि 8/11/24

स॰स॰ : 33–वि॰(अपुनरीक्षित भत्ता)–138/2024 2249/वि॰

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक 27.09.2024

संकल्प

विषय : **राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छठा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17 (ए॰)(बी॰) के अनुसार पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 (छठा वेतनमान) से राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 230% (दो सौ तीस प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और इसके आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/3(1)/2008 E.II (B), दिनांक 03.06.2024 के द्वारा छठे अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को 230% (दो सौ तीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 239% (दो सौ उनचालीस प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से महँगाई राहत 230% (दो सौ तीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 239% (दो सौ उनचालीस प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।"

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1909/वि॰ दिनांक 08.08.2024 के क्रम में दिनांक 20.09.2024 की बैठक के मद सं॰ 25 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Vijay 14/11
Not DD Pen 8AI 2626
L to Pen 1

4 OCT 2024

ज्ञापांक : 33–वि.(अपुनरीक्षित मत्ता)–138 / 2024....2249/वि०...... **राँची, दिनांक** ....23.09.2024...

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय / महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची / महालेखाकार (ले• एवं हक•), झारखंड, राँची / मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी कोषागार / उप–कोषागार पदाधिकारी / जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग / वित्त (वै•दा•नि•को•) विभाग, झारखंड, रांची / कोषागार एवं सांख्यिक वित्त निदेशालय, वित्त विभाग को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय / सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

23/9/24

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Copy to –

Pen- 2

Pen- 3

Pen- 4

Pen- 5

Pen- 6

Pen/sai-

Rev. cell –

7